FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **कौशल्या देवी बनाम रामप्रसाद**

किस्म मुकदमा **अपील** नम्बर **11/20/2025** दा0दि0 **03.06.2025**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.11.2025	आज यह पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित उभयपक्ष विद्वान वकील की प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जादी मरम्मत सवाल पर बहस सुनी गई। अपीलाण्ट की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जादी इस आशय का पेश किया गया कि अपीलार्थी कौशल्या देवी का देहान्त दिनांक 25.12.2018 को हो चुका है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। मृतक अपीलार्थी के विधिक वारिस रमेश चन्द यादव पुत्र जगदीश निवासी धमरेड तहसील राजगढ, श्रीमती ननगो पत्नी श्री मोहन लाल यादव पुत्र श्री जगदीश अहीर निवासी नंगला तहसील रैणी जिला अलवर एवं जगदीश पुत्र हीरालाल जाति यादव निवासी धमरेड तहसील राजगढ़ जिला अलवर को प्रस्तुत अपील में मृतक कौशल्या देवी के स्थान पर उपरोक्त वारिसान को अपीलार्थी संख्या 01/01 लगायत 01/03 कायम किये जाने की आज्ञा सादिर फरमावें। वकील अप्रार्थी रैस्पोडेन्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वकील अप्रार्थी रैस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलार्थी कौशल्या देवी की मृत्यु दिनांक 25.12.2018 को हो चुकी है। जिसका प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल 27.03.2019 को प्रस्तुत अपील में पेश किया गया जो करीब 92 दिवस में पेश किया गया है जिसके साथ दफा 05 मियाद अधिनियम कानून का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि कानूनन 90 दिवस में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान नियत किया हुआ है। जिसके संदर्भ में नजीर निर्णय उच्च न्यायालय राजस्थान के D.B Civil Misc. Appeal No. 771 of 2009 बउनवान सुखदेव प्रसाद बनाम ओम प्रकाश	

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

निर्णय दिनांक 10.02.2010, RRT 319 Revenue Board Rajasthan Ajmer की नजीरे प्रस्तुत की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी की मृत्यु दिनांक 25.12.2018 न्यायालय में दिनांक 27.03.2019 को प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल आदेश 22 नियम 3 जा०दी० प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ दफा 05 कानूनी मियाद अधिनियम प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसमे अपीलार्थी को 90 दिवस के अन्दर प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल पेश करना चाहिये था जिसमें अपीलार्थी के वारिसान असफल रहे है। हस्तगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के D.B Civil Misc. Appeal No. 771 of 2009 बउनवान सुखदेव प्रसाद बनाम ओम प्रकाश निर्णय दिनांक 10.02.2010, RRT 319 Revenue Board Rajasthan Ajmer की नजीरे चस्पा पाई जाती है एवं परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 120 तथा 121 में मृतक वादी या अपीलार्थी या प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने के लिये आवेदन करने के लिये परिसीमा अवधि 90 दिवस जो उनकी मृत्यु दिनांक से आरम्भ होती है। अतः अपीलार्थी की मृत्यु के 90 दिन के भीतर कोई आवेदन नहीं देने से अपील उपशमित हो गई है। जिसे अपीलार्थी की उपेक्षा के कारण उपशमन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर रो कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)